



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-04102025-266675
CG-DL-E-04102025-266675

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4397]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्टूबर 3, 2025/आश्विन 11, 1947

No. 4397]

NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 3, 2025/ASVINA 11, 1947

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 अक्टूबर, 2025

सं. 38/2025-26

विषय: धारवाड़ विश्वविद्यालय से इंडोनेशिया को आइटीसी (एचएस) कोड 10019100 के अन्तर्गत 100 मीट्रिक टन गेहूं के बीज (डीडब्ल्यूआर-162) का निर्यात।

का.आ. 4523(अ).—समय-समय पर यथा संशोधित विदेश व्यापार नीति, 2023 के पैरा 1.02 और 2.01 के साथ पठित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 की धारा 5 के साथ पठित धारा 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार एतद्वारा अनुसूची-II (निर्यात नीति) के अध्याय 10 के आइटीसी एचएस कोड 10019100 के तहत गेहूं के बीज (डीडब्ल्यूआर-162) के निर्यात के लिए एक बार छूट की अनुमति प्रदान करती है:

- धारवाड़ विश्वविद्यालय से इंडोनेशिया को राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड (एनसीईएल) के माध्यम से मैंगलोर समुद्री पत्तन के जरिए गेहूं के बीज (डीडब्ल्यूआर-162) के निर्यात की अनुमति है, जिसकी कुल मात्रा 100 मीट्रिक टन से अधिक न हो।

2. धारवाड़ विश्वविद्यालय या कृषि विभाग, कर्नाटक सरकार, ऐसे निर्यात के प्रयोजन के लिए गेहूं बीज (डीडब्ल्यूआर-162) की पहचान और मात्रा के प्रमाणीकरण के लिए अधिकृत एजेंसी के रूप में कार्य करेगी।
3. यह अनुमति केवल एक बार की छूट के रूप में वैध होगी तथा तत्काल प्रभाव से लागू होगी।

अधिसूचना का प्रभाव: धारवाड़ विश्वविद्यालय से इंडोनेशिया को 100 मीट्रिक टन गेहूं के बीज (डीडब्ल्यूआर-162) का निर्यात एनसीइएल के माध्यम से मंगलौर समुद्री पत्तन के जरिए एक बार की छूट के रूप में अनुमति दी गई है, जो धारवाड़ विश्वविद्यालय या कर्नाटक सरकार के कृषि विभाग द्वारा प्रमाणन के अधीन है।

[फा. सं. 01/91/180/032/एम22/ईसी/पार्ट/ई-31336]

अजय भादू, अपर सचिव एवं महानिदेशक विदेश व्यापार

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(Directorate General of Foreign Trade)

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd October, 2025

No. 38 /2025-26

Subject: Export of 100 MT of wheat seed (DWR-162) under ITC (HS) code 10019100 from University of Dharwad to Indonesia.

S.O. 4523(E).— In exercise of powers conferred under Section 3 read with Section 5 of the Foreign Trade (Development & Regulation) Act, 1992, read with Para 1.02 and 2.01 of the Foreign Trade Policy, 2023, as amended from time to time, the Central Government hereby permits, as a one-time exemption, export of Wheat Seed (DWR-162) under ITC HS code 10019100 of Chapter 10 of Schedule-II (Export policy), as under :

1. Export of Wheat Seed (DWR-162) up to an aggregate quantity not exceeding 100 Metric Tonnes from University of Dharwad to Indonesia, is permitted through National Co-operatives Export Limited (NCEL) via Mangalore Sea Port.
2. The University of Dharwad or the Department of Agriculture, Government of Karnataka, shall act as the authorised agency for certification of the identity and quantity of Wheat Seed (DWR-162) for the purpose of such export.
3. This permission shall be valid as a one-time exemption only and shall come into force with immediate effect.

Effect of This Notification: Export of 100 MTs of Wheat seed (DWR-162) from University of Dharwad to Indonesia through NCEL via Mangalore Sea Port is permitted as a one-time exemption, subject to certification by University of Dharwad or the Department of Agriculture, Government of Karnataka.

[F. No. 01/91/180/032/AM22/EC/Pt /E- 31336]

AJAY BHADOO, Addl. Secy. & Director General of Foreign Trade